



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग अल्मोड़ा
Office of the Executive Engineer, PWD, Almora Uttarakhand
E-mail: eepdalmora@rediff.com



पत्रांक २१०० / ७सी०

दिनांक ५ अगस्त 2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय: जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी से भैसोली लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक लिंक रोड को ग्राम दलमोटी व बटुलिया तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.205 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन(प्रस्ताव सं० 53193/2020)।

संदर्भ: भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/०६/५५/२०२२/एफ०सी०/६४४ दिनांक ०४.०८.२०२२ एवं आपका पत्र सं० 1033/12-1(2) अल्मोड़ा 24.०८.२०२३

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित की गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्रम सं०	आपत्ति	निराकरण
1	The locations of all the villages to be benefited by the proposed road are not marked on the KML file. Accordingly, the State Govt. is requested to mark the locations of the concern villages in the KML file and upload the same in the online portal.	प्रस्तावित मोटर मार्ग से लाभान्वित होने वाले ग्राम ऑनलाईन पोर्टल के पार्ट 1 के सैक्शन सी० में अपलोड कर लिया गया है।
2	In the geo-referenced map, the existing roads of Kalika-Dalmoti MR and Tanwari- Baisolti MR are available at both the ends of the proposed road. In view of the fact the purpose of the proposed alignment is not clear because there is no habitation in between these two ends. The concerned DFO is requested to visit the site and comment on the requirement of the proposed road.	ग्राम भैसोली, टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से एवं ग्राम दलमोटी, कालीका दलमोटी मोटर मार्ग से जुड़ चुके हैं। किन्तु वर्तमान में ग्राम बटुली के 32 परिवार की 109 जनसंख्या मोटर मार्ग की सुविधा से वंचित हैं जिसके कारण उन्हें उक्त दोनों मोटर मार्गों तक पहुँचने हेतु लगभग 4 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से भैसोली एवं बटुलिया के निवासियों को कालिका दलमोटी होते हुये रानीखेत जाने के लिये न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी। वर्तमान में भैसोली एवं बटुलिया के निवासियों को रानीखेत जाने के लिये टनवाणी भैसोली मोटर मार्ग से होते हुये द्वारसों काकड़ीघाट मोटर मार्ग से द्वारसों जाकर फिर रानीखेत जाने में 25 कि०मी० की दूरी तय करनी पड़ती है। इस मार्ग के बन जाने से यह दूरी मात्र 10.00 कि०मी० रह जायेगी जिससे ग्रामवासियों को बाजार, शिक्षा एवं

		स्वास्थ्य सम्बन्धित आवश्यकताओं के लिये एक सुलभ एवं सस्ता मार्ग उपलब्ध हो जायेगा जोकि अत्यंत लाभप्रद होगा। शेष सूचना आपके स्तर से सम्बन्धित है।
3	It is seen that, the bridal path is available all along the proposed alignment which is not been examined as an alternate alignment. The State Govt. is requested to submit the examination report/comment on the same.	ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है। वैकल्पिक मार्ग की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित है।
4	The State Govt. is requested to find out the width of the existing bridle path. It's seen that, in the initial half portion the proposed road is almost parallel to the existing path and if required, the same may be widened instead of constructing a new road.	ग्रामवासियों के आवागमन हेतु पैदल मार्ग स्थित है किन्तु वह मार्ग से मोटर मार्ग प्रस्तावित किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होता है।
5	The State Govt is requested to submit the propose tree enumeration list for 7m width. Further, tree enumeration for the area proposed for muck dumping shall also be submitted separately.	प्रस्तावित मोटर मार्ग की 7 मी० चौड़ाई में गणना सूची पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 50 में अपलोड कर ली गयी है।
6	As per the DSS analysis of CA area 2.0 hectare area is found MDF out of total 4.42 ha area. The State Govt. is requested to revisit the area for its suitability and the concerned DFO must ensure that the area proposed CA is suitable for raising plantation and shall have vegetation density below 0.4. If required, this 2.0 ha area can also be replaced with some other suitable area.	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयनित कर लिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना पार्ट 1 के अतिरिक्त सूचनाओं के बिन्दु सं० 51 में अपलोड कर ली गयी है।
7	The villages located at both the end of the proposed road are already well connected. There is no necessity of the proposed road. Further, the road affects 246 trees. The State Govt. is requested to justify the necessity of the proposed road.	मार्ग के दोनों छोर मोटर मार्ग से जुड़े हुये है किन्तु उनके बीच में पड़ने वाले ग्राम बटुलिया के 32 परिवारों की 109 जनसंख्या एवं ग्राम दलमोटी के 46 परिवारों की 187 जनसंख्या इस मोटर मार्ग के बन जाने से लाभान्वित होगी। उक्त क्षेत्र में फल, सब्जी का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है किन्तु उक्त क्षेत्र में मोटर मार्ग नहीं होने से ग्रामवासियों को अपने उत्पाद सिर बोझ या घोड़े खच्चरों की मदद से बाजार पहुँचाते हैं जिससे अत्यधिक लागत आती है। यह मार्ग जनहित में बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।
8	The total forest involved and the numbers of trees affected in the proposed as well as the alternative alignment are also not provided. The State Govt. is requested to ensure that the User agency shall provide the details to alternative alignments.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्नक संख्या 2.3 (संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट) के अनुसार प्रस्तावित समरेखण के तुलना में जो वैकल्पिक समरेखण देखे गये उसमें 1160 (मी०) नाप भूमि, 940 (मी०) सिविल भूमि, 300 (मी०) वन पंचायते, 1600 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी तथा इस वैकल्पिक समरेखण के चयन में कुल 1.044 हे० नाप भूमि 0.846 हे० सिविल भूमि 0.270 हे० वन पंचायत भूमि एवं 1.440 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता

	होगी। जिनमें से कुल 2.556 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर लगभग 418 वृक्ष चीड़, बाँज, काफल की प्रजाति के वृक्ष इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 60 वृक्ष बाँज प्रजाति के भी प्रभावित होंगे। जिस कारण यह संरेखण मार्ग निर्माण हेतु अनुपयुक्त पाया गया जिसे मार्ग निर्माण हेतु निरस्त किया गया।
--	---

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

CH

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

पत्रांक ५१७० / ७सी०

तददिनांकित

प्रतिलिपि- सहायक अभियन्ता(पंचम), प्रा०ख०, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

CH

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।